

समग्र वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए नवाचारों और सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन साधते हुए वृहद विवेकपूर्ण नीतियों ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के सुदृढ़ता मापदंडों को सक्रियतापूर्वक आधार प्रदान किया है। इससे वित्तीय संस्थाएं ऋण वृद्धि बनाए रखने और घरेलू आर्थिक गतिविधि को बल देने में सक्षम बनी हैं।

1. परिचय

1.1 2022-2023 के दौरान एक ही समय में की गई वैश्विक मौद्रिक सख्ती के बाद मुद्रास्फीति कम हो रही है, किंतु 2024 में आर्थिक गतिविधि नरम पड़ने की राह पर है। इस कारण से प्रमुख केंद्रीय बैंकों को नीतिगत दरों में कटौती शुरू करनी पड़ी। मुद्रास्फीति की रफ्तार को कम करना, अर्थात् उसे लक्ष्यों के अनुरूप रखना, चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, जबकि वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता का दौर है। इसके अलावा भू-राजनीतिक संघर्ष, भू-आर्थिक विखंडन, वस्तु मूल्य में अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, आबादी और कमजोर होती उत्पादकता वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए चुनौती बनी हुई है।

1.2 2023 में कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के बैंकिंग क्षेत्र में आई अस्थिरता को त्वरित नीतिगत कार्रवाई करते हुए निपटाया गया जिससे एक प्रणालीगत संकट और संभावित प्रभाव-प्रसार को रोका जा सका, पूंजी बफर मजबूत हुआ, लाभप्रदता बेहतर हुई और गैर-ब्याज आय बढ़ने तथा समुचित आस्ति गुणवत्ता संतोषजनक रहने से वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र में सुदृढ़ता के संकेत दिखाई दिए। हालांकि, कमजोर जोखिम संकेतकों वाले खस्ता बैंकों की संख्या, खासकर एशिया में, बढ़ रही है¹।

1.3 भारत में मजबूत समष्टि-आर्थिक बुनियादी व्यवस्था के कारण भारतीय बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों के

प्रदर्शन और सुदृढ़ता में वृद्धि हुई है। 2023-24 में लगातार छठे वर्ष बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ है, और उनका सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2024 के अंत में 13 वर्षों में अपने निम्नतम स्तर 2.7 प्रतिशत पर पहुंच गया²। बैंकों की पूंजी स्थिति संतोषजनक रही, जो लीवरेज अनुपात और पूंजी बनाम जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) जैसे प्रमुख मापदंडों में परिलक्षित होती है। एनबीएफसी का ऋण विस्तार मजबूत रहा और साथ ही उनके तुलन-पत्र पहले से बेहतर हुए, ऋण गुणवत्ता और लाभप्रदता में सुधार हुआ तथा अतिरिक्त पूंजी राशि संतोषजनक रही।

1.4 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय घरेलू बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी के समक्ष आने वाले अवसरों और चुनौतियों का समग्र परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। खंड 2 में विनियामकीय और पर्यवेक्षी परिवर्तनों के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। भुगतान और निपटान प्रणालियों में हुए विकास को खंड 3 में शामिल किया गया है। उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने से जुड़े अवसरों और जोखिमों पर खंड 4 में चर्चा की गई है। वित्तीय समावेशन, जमा, उपभोक्ता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को खंड 5 से 7 में क्रमशः शामिल किया गया है। समापन खंड 8 में अध्याय का समग्र मूल्यांकन है।

¹ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2024), ग्लोबल फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट, अक्टूबर।

² डेटा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के वैश्विक परिचालनों से संबंधित है।

2. विनियमन और पर्यवेक्षण

1.5 रिज़र्व बैंक के हालिया विनियामकीय उपायों के आधार पर, 'कनेक्ट 2 रेग्यूलेट' कार्यक्रम के माध्यम से विनियमनों के निर्धारण में परामर्श प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित विषयों पर अपने विचारों को साझा करने के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर हितधारकों के लिए एक समर्पित खंड उपलब्ध कराया जाएगा³।

1.6 बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण की प्रक्रिया के तहत अब ध्यान प्रारंभिक पहचान और पूर्व-निवारक सुधार पर है। उन्नत ऑफ-साइट मूल्यांकन ढांचा अधिक विश्लेषणात्मक और दूरदर्शी है जिसमें मैक्रो-स्ट्रेस टेस्ट, प्रारंभिक चेतावनी संकेतक (ईडब्ल्यूआई), धोखाधड़ी भेद्यता सूचकांक (एफवीआई), माइक्रो-डेटा विश्लेषण (एमडीए), और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों के उपयोग को शामिल किया गया है।

1.7 प्रबंध निदेशकों (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ, तथा बोर्ड निदेशक) सहित पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के साथ रिज़र्व बैंक की लगातार और व्यापक बातचीत को जारी रखा जाएगा। एसई के साथ जुड़ाव को 'दक्ष' पोर्टल के माध्यम से भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है। 'दक्ष' एक सुप-टेक पहल है जिसमें विभिन्न पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और मजबूत करने के लिए शुरू से अंत तक कार्य पूरा करने के लिए समाधान है। इसके अलावा सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ प्रत्यक्ष बातचीत ने निरीक्षण ढांचे को और मजबूत किया है। इस परामर्शी दृष्टिकोण का उपयोग बासेल III मानकों सहित विभिन्न विनियामक दिशानिर्देशों के संशोधन में किया जा रहा है। रिज़र्व बैंक जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए प्रकटीकरण ढांचे पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी करने पर भी काम कर रहा है।

गैर जमानती उधार

1.8 गैर जमानती खुदरा क्षेत्रों में उच्च ऋण वृद्धि के कारण अत्यधिक जोखिम निर्माण की संभावना को नियंत्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा नवंबर 2023 में किए गए समष्टि विवेकपूर्ण उपायों के कारण ऋण वृद्धि में कुछ नरमी आई है, लेकिन चूक होने के स्तर और लीवरेज पहले से अधिक सतर्कता की मांग करते हैं। यद्यपि शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा गैर जमानती ऋण देने के लिए विशिष्ट सीमाएं निर्धारित की गई हैं और एससीबी और एनबीएफसी के निदेशक मंडल को गैर जमानती ऋण पर सीमा तय करने का विवेकाधिकार है, परंतु कुछ संस्थाओं ने इस संबंध में बहुत ऊंची सीमा तय कर रखी है जिस पर लगातार निगरानी रखने की जरूरत है। तथापि, रिज़र्व बैंक को उम्मीद है कि आरई के निदेशक मंडल विवेकशीलता दिखाएंगे और अपने स्वयं की वित्तीय सुदृढ़ता के साथ-साथ प्रणालीगत वित्तीय स्थिरता के हित में अत्यधिक उधार देने से बचेंगे⁴।

स्वर्ण ऋण

1.9 स्वर्ण आभूषणों और रत्नाभूषणों के बदले ऋण देने, जिसमें टॉप-अप ऋण भी शामिल हैं, में देखी गई कई अनियमितताओं के मद्देनजर रिज़र्व बैंक ने एसई को सलाह दी है कि वे कमियों की पहचान करने और समयबद्ध तरीके से उचित उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए स्वर्ण ऋण संबंधी अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की व्यापक समीक्षा करें। एसई को सलाह दी गई थी कि वे अपने स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो की बारीकी से निगरानी करें और आउटसोर्स गतिविधियों और त्रयस्थ सेवा प्रदाताओं पर पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करें।

टॉप-अप ऋण

1.10 ग्राहकों को अपना वर्तमान घर, वाहन या सोना आदि गिरवी रखकर टॉप-अप ऋण के रूप में अतिरिक्त ऋण प्राप्त

³ भारतीय रिज़र्व बैंक (2024)। विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य, 6 दिसंबर।

⁴ भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में समसामयिक मुद्दे, श्री शक्तिकान्त दास द्वारा फाइनेंशियल एक्सप्रेस मॉडर्न बीएफएसआई शिखर सम्मेलन, मुंबई में उद्घाटन संबोधन - 19 जुलाई 2024।

करने की सुविधाएँ मिलती हैं। कई आरई ऐसे जमानती ऋणों को कम जोखिम वाला मान सकते हैं। इसलिए ऐसी अतिरिक्त सुविधाएँ अक्सर न्यूनतम प्रक्रियाओं और उचित छानबीन के बिना स्वीकृत की जाती हैं, जिसमें शिथिल हामीदारी मानक और ऋण-मूल्य (एलटीवी) अनुपात संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के पालन में ढिलाई, जोखिम भार और धन के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित न किया जाना शामिल है। इन प्रथाओं से जोखिम बढ़ सकता है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब इन ऋणों के संपार्श्विक अस्थिर हो जाते हैं या चक्रीय मंदी का सामना करते हैं। इन चिंताओं को देखते हुए नवंबर 2023 में रिज़र्व बैंक ने निर्देश दिया था कि चल आस्तियों के बदले आरई द्वारा दिए गए सभी टॉप-अप ऋणों, जो स्वाभाविक रूप से मूल्यहास करने वाली प्रकृति के होते हैं, को ऋण मूल्यांकन, विवेकपूर्ण सीमाओं और जोखिम उद्देश्यों के लिए गैर-जमानती ऋण के रूप में माना जाए।

ऋणों पर फोर-क्लोजर प्रभार/पूर्व-भुगतान दंड

1.11 बैंकों और एनबीएफसी को वर्तमान में व्यवसाय से इतर अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किसी भी फ्लोटिंग रेट आवधिक ऋण पर व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, सह-दायित्वधारक(कों) के साथ या उसके बिना फोर-क्लोजर प्रभार/पूर्व-भुगतान दंड लगाने की अनुमति नहीं है। बेहतर पारदर्शिता के माध्यम से ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए जाने वाले ऋण को सुरक्षित करने के लिए ऐसे विनियमों के दायरे को व्यापक बनाने पर विचार किया जा रहा है।

निजी ऋण बाजार

1.12 बैंकों से निजी संस्थाओं की ओर ऋण मध्यस्थता में बदलाव वैश्विक स्तर पर जोर पकड़ रहा है। परंपरागत रूप से निजी ऋण संस्थाएं मध्यम आकार की कंपनियों, जो एक ऐसा खंड हैं जो आमतौर पर बैंकों और सार्वजनिक ऋण बाजारों से वित्त प्राप्त करने में चुनौती का सामना करता

है, को वित्तपोषित करने के लिए उच्च जोखिम वहन करने वाले निवेशकों से संसाधन जुटाती हैं। हाल के रुझान संकेत देते हैं कि निजी ऋण की पहुँच मध्यम आकार के कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं से परे जा रही है जिससे साझा ऋण बाजारों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है⁵। हालांकि भारत में ऐसी निजी संस्थाओं और उनके द्वारा जुटाए गए संसाधनों का आकार बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी, बैंकों और एनबीएफसी सहित विनियमित संस्थाओं और ऐसी फर्मों के बीच अंतर-संबंधों पर करीब से नजर डालने की जरूरत है। उनके बीच गहरा अंतर-संबंध प्रणालीगत चिंताओं को जन्म दे सकता है और साथ ही विनियमों के उल्लंघन के मामले में विनियामक मध्यस्थता की संभावना भी पैदा कर सकता है।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)

1.13 6 नवंबर 2024 को जारी केवाईसी मास्टर निर्देशों में किए गए संशोधनों में विनियमित संस्थाओं को ग्राहक की पहचान के सत्यापन और निरंतर ड्यू-डिलिजेंस के लिए ग्राहक से या केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) से केवाईसी आईडेंटिफायर प्राप्त करने के लिए कहा गया है। यह विनियमित संस्थाओं द्वारा पुनः केवाईसी या केवाईसी विवरणों के आवधिक अद्यतनीकरण के उद्देश्य से सीकेवाईसीआर के उपयोग को भी अधिकृत करते हैं। संशोधन में विनियमित संस्थाओं के लिए सीकेवाईसीआर में ग्राहक अभिलेख अद्यतन करने के लिए सात दिनों की समय सीमा या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समय सीमा भी निर्धारित की गई है। विनियमित संस्थाओं को सीकेवाईसीआर से अद्यतन जानकारी प्राप्त करने और अद्यतन अभिलेख को बनाए रखना भी अनिवार्य किया गया है।

1.14 इसके बावजूद, विनियमित संस्थाओं द्वारा कार्यान्वयन में कमी के परिणामस्वरूप कई खाते लेन-देन के लिए बंद हो रहे हैं जिससे ग्राहक अपने धन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अन्य संबंधित मुद्दे भी हैं, जैसे कि ग्राहकों की सहायता करने और उनके दस्तावेज प्राप्त करने में सक्रिय दृष्टिकोण का अभाव, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में कर्मचारियों की

⁵ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2024)। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट, दी लास्ट माइल: वित्तीय कमजोरियाँ और जोखिम, अप्रैल।

अपर्याप्त तैनाती के परिणामस्वरूप शाखाओं में भीड़ होना या सेवा से इनकार करना, ग्राहकों के लिए सुविधाजनक शाखा में केवाईसी अद्यतनीकरण की सुविधा देने के बजाय उन्हें उनकी मूल शाखा में निर्देशित करना; और ग्राहकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद भी सिस्टम में विवरण अपडेट करने में विफलता। सरकार से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त करने के लिए बनाए गए खातों को निष्क्रिय किए जाने या लेनदेन के लिए बंद किए जाने के भी कई उदाहरण हैं, जो विनियामक दिशानिर्देशों के विपरीत हैं। ऐसे मामलों में बैंकों के निदेशक मंडल को ऐसी नीतियां स्थापित करने और बैंकों को मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए निर्देश देना आवश्यक है जो न केवल विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हों बल्कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक भी हों। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन सटीकता और सहानुभूति, दोनों के साथ किया जाए⁶।

बड़ी संख्या में कर्मचारी पलायन (एट्रीशन)

1.15 चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) से कर्मचारी पलायन में वृद्धि हुई है। 2023-24 के दौरान पीवीबी कर्मचारियों की कुल संख्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से अधिक हो गई है, लेकिन पिछले तीन वर्षों में उनकी पलायन संख्या में तेजी से वृद्धि भी हुई है, जो औसत संख्या में लगभग 25 प्रतिशत है। बड़ी संख्या में कर्मचारी पलायन और कर्मचारी टर्नओवर दर के कारण ग्राहक सेवाओं में व्यवधान के अलावा बड़े परिचालन जोखिम उत्पन्न होते हैं, और साथ ही संस्थागत ज्ञान की हानि और भर्ती लागत में वृद्धि होती है। बैंकों के साथ समय-समय पर होने वाली चर्चाओं में रिजर्व बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि कर्मचारी पलायन में कमी लाना केवल मानव संसाधन कार्य नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक अनिवार्यता भी है। दीर्घकालिक कर्मचारी जुड़ाव बनाने के लिए बैंकों को बेहतर ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया, व्यापक प्रशिक्षण और कैरियर विकास के अवसर प्रदान करने, मेंटरशिप

कार्यक्रम, प्रतिस्पर्धी लाभ और एक अनुकूल कार्यस्थल माहौल बनाने जैसी रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता है।

3. भुगतान और निपटान प्रणालियां

भुगतान समाहर्ता (पीए) (एग्रीगेटर)

1.16 पेमेंट विज़न 2025 के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण भुगतान मध्यस्थों को रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष विनियमन के तहत लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस विज़न के अनुसार ऑनलाइन पीए के लिए निर्धारित विनियमन दिशा-निर्देशों को पीए-पॉइंट ऑफ सेल पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। यह कदम विनियमन में तालमेल लाएगा और मानकों का एकीकरण करेगा।

लाभार्थी का नाम देखने की सुविधा

1.17 यूनिकाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) जैसी भुगतान प्रणालियों में लेनदेन शुरू करने से पहले प्रेषक के लिए प्राप्तकर्ता का नाम सत्यापित करने की सुविधा है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम के साथ जोड़ा जा रहा है। यह सुविधा राशि के गलत नाम से जमा होने और धोखाधड़ी की संभावना को कम करने में मदद करेगी।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस)

1.18 चेक प्रसंस्करण के वर्तमान बैच प्रोसेसिंग दृष्टिकोण के अंतर्गत दो कार्य दिवसों तक का समाशोधन चक्र होता है। इस कार्य को बेहतर बनाने और प्रतिभागियों के लिए निपटान जोखिम को कम करने के लिए सीटीएस को 'ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट' में बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। नए दृष्टिकोण के तहत चेक को कारोबार समय के दौरान निरंतर आधार पर स्कैन, प्रस्तुत और पास किया जाएगा और समाशोधन चक्र को कुछ घंटों तक कम किया जाएगा।

⁶ परिवर्तन को आगे बढ़ाने में बोर्ड की भूमिका, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. द्वारा मुंबई में निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों के सम्मेलन में विशेष संबोधन - 18 नवंबर 2024।

भुगतान प्रणालियों का अंतरराष्ट्रीयकरण

1.19 रिज़र्व बैंक ने यूपीआई को अन्य देशों की जलद भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ने और वैश्विक स्तर पर रुपये कार्ड की स्वीकृति को बढ़ावा देने जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भारतीय भुगतान लिखतों को अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहन हेतु कई कदम उठाए हैं। सिंगापुर, यूईई, नेपाल, मॉरीशस, भूटान, फ्रांस, श्रीलंका और मालदीव में ऐसी व्यवस्थाएँ पहले ही चालू हो चुकी हैं। पेरू और नामीबिया में यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली को लागू करने का कार्य हो रहा है। रिज़र्व बैंक जून 2024 में परियोजना नेक्सस में शामिल हुआ है जो पांच देशों - मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत, जो इस प्लैटफॉर्म के मूल सदस्य होंगे, की घरेलू जलद भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर त्वरित सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है।

4. उभरती हुई प्रौद्योगिकी को अपनाना

1.20 डिजिटल प्रौद्योगिकी वित्तीय समावेशन का विस्तार करने, दक्षता में सुधार करने और अखिल भारत में वास्तविक समय की सेवाओं को सक्षम करने में सहायक रही है। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) और ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओसीईएन) जैसी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने वाली पहलों से विशेष रूप से लघु व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऋण पहुंच को नवीन रूप देने की उम्मीद है। रिज़र्व बैंक ग्राहकों के लिए निर्बाध और कुशल अनुभव प्रदान करने के लिए नवाचारों को प्रोत्साहित कर रहा है। तथापि, डिजिटल की ओर बदलाव से जोखिम भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें पहचाना जाना चाहिए, उनका निपटान किया जाना चाहिए और एक स्थिर और सुरक्षित वित्तीय पारितंत्र बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाना चाहिए।

1.21 रिज़र्व बैंक ने नीतिगत पहलों को प्रसारित करने, नई गतिविधियों, उत्पादों, सेवाओं और उपयोग के मामलों को समझने और बाजार आसूचना इकट्ठा करने के उद्देश्य से समय-

समय पर फिनटेक के साथ सुगठित और खुली बातचीत की है। एआई/एमएल, टोकनाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ वित्तीय क्षेत्र का परिदृश्य महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है। हालांकि उनके अपनाने के लाभ कई हैं, किंतु एल्गोरिदम पूर्वाग्रह, निर्णयों की व्याख्या और डेटा गोपनीयता जैसे जोखिम भी अधिक हैं। प्रौद्योगिकी अपनाने की प्रक्रिया के आरंभ में ही होने वाले जोखिमों का समाधान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने घोषणा की है कि वित्तीय क्षेत्र के लिए एक मजबूत, व्यापक और अनुकूलनीय एआई ढांचे की सिफारिश करने हेतु एआई के जिम्मेदार और नैतिकतायुक्त उपयोग के लिए एक ढांचा (एफआरआई-एआई) विकसित करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी⁷।

डिजिटल ऋण

1.22 कई रिपोर्टें डिजिटल ऋण क्षेत्र में विवेकहीन सहभागियों की निरंतर उपस्थिति का संकेत देती हैं, जो गलत तरीके से विनियमित संस्थाओं के साथ उनके जुड़ाव का दावा करते हैं। डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए) के किसी विनियमित संस्था के साथ जुड़ाव के दावों की जांच करने में ग्राहकों की सहायता के लिए रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाओं द्वारा पेश किए गए डीएलए का एक सार्वजनिक संग्रह (रिपॉजिटरी) बनाने की प्रक्रिया में है। इस संग्रह में विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत डेटा होगा, जिसमें रिज़र्व बैंक का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जब भी कोई नया डीएलए जोड़ा जाएगा या कोई मौजूदा डीएलए हटाया जाएगा, तो उसे विनियमित संस्थाओं द्वारा अद्यतन किया जाना होगा।

यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) का विस्तार

1.23 यूएलआई (जिसे पहले निर्बाध ऋण के लिए पब्लिक टेक प्लैटफॉर्म कहा जाता था) ऋणदान क्षेत्र में एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है जो ऋणदाताओं को महत्वपूर्ण वित्तीय, गैर-वित्तीय और वैकल्पिक डेटा उपलब्ध कराएगा ताकि वे ऋण संबंधी सूचित निर्णय ले सकें। यूएलआई पायलट 17 अगस्त 2023 से शुरू हुआ। 6 दिसंबर 2024 तक

⁷ भारतीय रिज़र्व बैंक (2024)। विकासवादी और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य, 6 दिसंबर

₹27,000 करोड़ के 6 लाख से अधिक ऋण, जिनमें बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण (₹14,500 करोड़ के 1.60 लाख ऋण) शामिल हैं, को इस प्लैटफॉर्म से एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का उपयोग करके वितरित किया गया है। इसमें विभिन्न बैंकों (पीएसबी, पीवीबी, एसएफबी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) और एनबीएफसी सहित 36 ऋणदाताओं को शामिल किया गया है। ये ऋणदाता 50 से अधिक डेटा सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रमाणीकरण और सत्यापन सेवाएं, छह राज्यों से भूमि अभिलेख डेटा, उपग्रह सेवा, लिप्यंतरण, संपत्ति खोज सेवाएं, डेयरी संबंधी सूचना और पहचान/दस्तावेज सत्यापन शामिल हैं। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल कैटल, एमएसएमई (अरक्षित), आवास, व्यक्तिगत, ट्रैक्टर, सूक्ष्म व्यवसाय, वाहन, डिजिटल स्वर्ण, ई-मुद्रा, पेंशन और डेयरी रखरखाव ऋण सहित 12 ऋण प्रकार शुरू किए गए हैं। अनुभवों और हितधारकों से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर अधिक ऋण प्रकारों, डेटा प्रदाताओं और ऋणदाताओं को शामिल करने के लिए इस प्लैटफॉर्म के दायरे और व्याप्ति का विस्तार किया जा रहा है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)

1.24 सीबीडीसी-रिटेल (सीबीडीसी-आर) पायलट वर्तमान में पायलट बैंकों द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल रुपया वॉलेट का उपयोग करके व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी 2 पी) और व्यक्ति-से-व्यापारी (पी 2 एम) लेनदेन को सक्षम बनाता है। पायलट परियोजना के तहत सीबीडीसी-आर में प्रोग्रामेबिलिटी और ऑफलाइन कार्यक्षमता का भी परीक्षण किया जा रहा है। प्रोग्रामेबिलिटी से सरकारी एजेंसियां और उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि भुगतान निर्धारित लाभों के लिए किए गए हैं। इसी तरह, संस्थाएँ अपने कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक यात्रा जैसे निर्दिष्ट व्यय को प्रोग्राम करने में सक्षम होंगी। वैधता अवधि या भौगोलिक क्षेत्र जैसी सुविधाएँ, जिनके भीतर सीबीडीसी-आर का उपयोग किया जा सकता है, उन्हें भी प्रोग्राम किया जा

सकता है। खराब या सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में लेनदेन करने के लिए सीबीडीसी-आर (प्रोक्सिमिटी और नॉन-प्रोक्सिमिटी आधारित) में ऑफलाइन कार्यक्षमता को सक्षम करने के समाधान का भी एक सीमित उपयोगकर्ता समूह में परीक्षण किया जा रहा है। इन सुविधाओं को धीरे-धीरे पायलटों के माध्यम से बढ़ाया जाएगा।

5. वित्तीय समावेशन

1.25 भारत ने बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यहाँ तक कि देश के सर्वाधिक दूरदराज के क्षेत्रों तक भी पहुँच बनाई है। सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयासों की परिकल्पना की गई है, जिसमें लैंगिक अंतर को कम करना भी शामिल है⁸।

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2.0

1.26 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) का अगला संस्करण 2025-30 की अवधि के लिए विकसित किया जा रहा है जो व्यापक हितधारकों के परामर्श और वर्तमान रणनीति के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव पर आधारित है। यह उभरती चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन को और गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

लीड बैंक योजना (एलबीएस) की समीक्षा

1.27 एलबीएस की प्रभावशीलता को बढ़ाने और आबादी के सभी वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं की बेहतर पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता युक्त वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए इस योजना की व्यापक समीक्षा चल रही है।

6. उपभोक्ता संरक्षण

1.28 ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र उपभोक्ता संरक्षण के सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। इस संबंध में, ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी से आने वाली

⁸ वंचितों तक पहुँचना - बैंकिंग सेवाओं की पहुँच दूरदराज तक सुनिश्चित करना - श्री स्वामीनाथन जे. द्वारा हुबली में अग्रणी जिला प्रबंधकों और जिला विकास प्रबंधकों के सम्मेलन में दिया गया मुख्य संबोधन, 20 सितंबर, 2024।

शिकायतों की कम संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। रिज़र्व बैंक बैंकों को अपने आंतरिक शिकायत निवारण ढांचे को मजबूत करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है।

1.29 ऋणों के मूल्य निर्धारण और ग्राहकों पर लगाए जाने वाले अन्य शुल्कों में विनियमित संस्थाओं द्वारा अधिक पारदर्शिता और प्रकटीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 1 अक्टूबर 2024 से विनियमित संस्थाओं के लिए सभी नए खुदरा और एमएसएमई सावधि ऋणों के संबंध में उधारकर्ताओं को एक मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें ऋण की समग्र लागत सहित ऋण समझौते के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का सरल और आसानी से समझने योग्य प्रारूप में होना शामिल है।

डिजिटल धोखाधड़ी

1.30 हालांकि डिजिटल धोखाधड़ी के कई मामले ग्राहकों पर सोशल इंजीनियरिंग हमलों के परिणामस्वरूप होते हैं, वहीं इस तरह की धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए छद्म बैंक खातों के इस्तेमाल में भी तेजी से वृद्धि हुई है। इससे बैंकों को न केवल गंभीर वित्तीय और परिचालन जोखिम, बल्कि प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम भी होता है। इसलिए, बैंकों को विवेकहीन (अनस्कूपलस) गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने ग्राहक ऑनबोर्डिंग और लेनदेन निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ प्रभावी समन्वय की भी आवश्यकता है ताकि प्रणालीगत स्तर पर होने वाली चूकों का पता लगाया जा सके और उन पर समय रहते अंकुश लगाया जा सके। रिज़र्व बैंक बैंकों और एलईए के साथ मिलकर लेन-देन निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने और छद्म खातों पर नियंत्रण और डिजिटल धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए काम कर रहा है⁹। इस दिशा में एक अन्य पहल एआई/एमएल

आधारित मॉडल है जिसका नाम है MuleHunter.AITM जिस पर रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) द्वारा प्रयोग किया जा रहा है¹⁰।

डार्क पैटर्न

1.31 डार्क पैटर्न, जो उपयोगकर्ताओं को वांछित व्यवहार में फंसाने के लिए एक डिज़ाइन इंटरफ़ेस और रणनीति है, जो अप-विक्रय (मिस-सेलिंग) के एक नए रूप के रूप में उभरे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 30 नवंबर 2023 को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन पर दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं, जिसका उद्देश्य इस प्रकार की गतिविधियों की पहचान करना और उन्हें विनियमित करना है। रिज़र्व बैंक भी अपने आरई के बीच ऐसी गतिविधियों के प्रचलन पर ध्यान दे रहा है और उचित नीतिगत कार्रवाइयों पर विचार कर रहा है।

7. जलवायु परिवर्तन

1.32 जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से वित्तीय संस्थाओं की लाभप्रदता, समष्टि आर्थिक विकास की संभावनाओं और मुद्रास्फीति की गतिशीलता पर असर पड़ने की संभावना है जिससे वित्तीय स्थिरता और मूल्य स्थिरता पर उसका असर पड़ेगा। विनियमित संस्थाएं इन चिंताओं का आकलन करें इसके लिए जोखिम प्रबंधन दिशा-निर्देशों, प्रकटीकरण आवश्यकताओं, आवधिक दबाव परीक्षण और उचित सत्यापन और आश्वासन कार्यों को निर्धारित करने के साथ-साथ विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है।

1.33 शुद्ध-शून्य संक्रमण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुसार रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने, हरित जमा रूपरेखा प्रस्तुत करने, सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) जारी करने, भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र

⁹ वंचितों तक पहुंचना - बैंकिंग सेवाओं की अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना - श्री स्वामीनाथन जे, उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हुबली में अग्रणी जिला प्रबंधकों और जिला विकास प्रबंधकों के सम्मेलन में मुख्य संबोधन - 20 सितंबर 2024।

¹⁰ भारतीय रिज़र्व बैंक (2024)। विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य, 6 दिसंबर

(आईएफएससी) में पात्र विदेशी निवेशकों द्वारा एसजीआरबी में निवेश और व्यापार की अनुमति देने, तथा सार्वजनिक परामर्श के लिए जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए प्रकटीकरण रूपरेखा का मसौदा जारी करने जैसे सक्रिय कदम उठाए हैं।

1.34 रिज़र्व बैंक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जलवायु संबंधी जोखिमों के परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पण को अंतिम रूप देने और उसे जारी करने की प्रक्रिया में भी है, जिसमें मॉडलिंग तकनीक, परिदृश्य स्थिति पर विचार और दबाव परीक्षण अभ्यास करने के लिए कार्यप्रणाली शामिल है। आरबीआई@100 के लिए रिज़र्व बैंक के आकांक्षात्मक लक्ष्यों में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए एक मजबूत विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचा स्थापित करना, जलवायु जोखिमों के विरुद्ध भुगतान प्रणालियों की सुदृढ़ता बढ़ाना और एक व्यापक वर्गीकरण (टैक्सोनॉमी) को अंतिम रूप देने के लिए सरकार के साथ सहयोग करना शामिल है¹¹।

रिज़र्व बैंक जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस)

1.35 विनियमित संस्थाओं द्वारा जलवायु जोखिम का आकलन करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय जलवायु परिदृश्यों, जलवायु पूर्वानुमानों और उत्सर्जन से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जलवायु संबंधी डेटा में कई प्रकार की कमियां हैं, जैसे कि स्रोत खंडित और विविध होते हैं,

प्रारूप अलग-अलग होते हैं, आवृत्तियाँ और इकाइयाँ भिन्न होती हैं। इन अंतरालों को पाटने के लिए रिज़र्व बैंक एक डेटा भंडार (रिपॉजिटरी) बनाने की योजना बना रहा है जिसका नाम होगा - रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस)¹²। भंडार का पहला भाग एक वेब-आधारित निर्देशिका होगी, जिसमें मौसम संबंधी और भू-स्थानिक डेटा सहित विभिन्न डेटा स्रोतों को सूचीबद्ध किया जाएगा, जो आरबीआई की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे। दूसरे भाग में मानकीकृत प्रारूपों में संसाधित डेटा-संचय शामिल होंगे। इस डेटा पोर्टल तक पहुंच चरणबद्ध तरीके से केवल विनियमित संस्थाओं को ही उपलब्ध कराई जाएगी।

8. समग्र मूल्यांकन

1.36 बैंक और एनबीएफसी भारत के वित्तीय क्षेत्र की रीढ़ हैं जो अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करके उसकी विकास आकांक्षाओं को आधार प्रदान करते हैं। रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान को 'डिजिटल पुश' देने के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना जारी रखेगा। बैंक अपने ग्राहक-केंद्रित उपायों को सुदृढ़ करते हुए और वित्तीय समावेशन को बढ़ाते हुए उभरती हुई प्रौद्योगिकी को अपनाने में मददगार की भूमिका निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। वित्तीय स्थिरता बनाए रखना सर्वोपरि लक्ष्य बना रहेगा और वह रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों को दिशा देता रहेगा।

¹¹ भारतीय रिज़र्व बैंक (2024)। गवर्नर का वक्तव्य, 7 जून।

¹² भारतीय रिज़र्व बैंक (2024)। विकासाल्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य, 9 अक्टूबर।